न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 110/2025

अनवान : —

1. कृष्णादेवी पत्नी हेतराम
2. गौरव जागिड़ पुत्र हेतराम

जाति खाती निवासी नेहरूनगर, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

प्रार्थीगण

बनाए

1. तहसीलदार राजस्व टिबी ।
2. रणजीत कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
110, 111 मय सपठित धारा 128 एलआरएक्ट
एमके गौड अधिवक्ता प्रार्थी
राजपैरोकार

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी का पंजीबद्ध पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। चक नं० 2 आर डबल्यू बी पटवार हल्का बेहरवाला ए के खाता सं0 75/72 में कुल 3.122 है० कमाण्ड आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 467/1561 हिस्सा, व अप्रार्थीया सं0 2 का 627/1561 हिस्सा आराजी, इसी चक के खाता सं0 109/2 में प्रार्थीगण के नाम से 1.889 है० ब०हि०ब० तथा चकनं० इसी चक के खाता सं0 104/99 में प्रार्थीगण की कुल 1.097 है० ब०हि०ब० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयॉ संलग्न प्रार्थना पत्र है। 2 आर डबल्यू बी तहसील टिब्बी के खाता सं0 104/99 की कुल 1.097 है0, इसी चक के खाता सं0 109/2 में कुल 1.889 है, इसी चक के खाता सं0 75/72 में कुल 3.122 है० प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2 की खातेदारी कृषि भूमि है तथा उपरोक्त कृषि भूमि की पैमाईश के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये तथा पटवारी हल्का बेहरवाला द्वारा कार्यालय के आदेश क्रमांक कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी के 2025/11222/1, आदेश क्रमांक 2025/11222/2, आदेश क्रमांक 2025/11222/3 के आदेश अनुसार दिनांक 25.04.2025 को मौजूद स्थाई पत्थर निशान 212/326. 212/323, 213/329, 212/331, 210 /331 को आधार मानते हुए पडौसियान की उपस्थिति मौतविरान पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान करवाया गया है तथा उपस्थित मौतविरान के समक्ष फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाया गया तथा प्रार्थीगण को निशान दे दिये गये। पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशानदेही के अनुसार प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि पडौसीयान के साथ किसी प्रकार का विवाद आदि नही रहे। प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नं० 2 आर डबल्यू बी के प0न0 210/325, 210/326, 211/326, 211/325, 211/327 की भूमि जिसके पटवारी हल्का द्वारा निशान दिये गये तथा पर प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर काबिज होना चाहते है परन्तु पत्थरगढ़ी के निशान नही होने के कारण प्रार्थीगण को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवा पाने के अधिकारी है। यही प्रार्थना पत्र है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं0 1 को कई मर्तबा कहा कि वो प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि पर पटवारी हल्का पैमाईश के निशान दिये गये एंव उपरोक्त निशान पर एंव प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवा देवे तो जिस पर अप्रार्थी सं० 1 कुछ दिन तक तो आजकल — 2 करता रहा आखिर मुकाम तहसील परिसर टिब्बी में कतई इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है ।प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार

Scanned with CamScanner

व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर तहरीर कर पेश है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है

क. कि तहसील टिब्बी के चक 2 आर डबल्यू बी प०न० 210/325, 210/326, 211/326, 211/325, 211/327 की प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश अप्रार्थी सं0 1 को दिये जावे ।

ख. कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण को दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के बाद अप्रार्थी स0 2 द्वारा वकालतनामा पेश कर आदेशिका में जवाब पेश नही करने का अंकन किया अप्रार्थी स0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राज्यहित को ध्यान में रखते हुए मुकदमा का निस्तारण फरमाया जावे व पत्थरगढी की जावे तो उचित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट आदेश क्रमांक 2025/11222/2 दिनांक 25.04.2025 के अनुसार उक्त आराजी की पैमाईस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर चक नं० 2 आर डब्लयु डी के जमाबंदी खाता स0 104, व खाता स0 109 व इसी चक के खाता स0 75 में वर्णित आराजी की भूमि की पैमाईश कर हल्का पटवारी व अन्य मौतबिरान ने अपने हस्ताक्षर कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई चित्रप्रति फर्द मौका संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी हेतु निवेदन किया गया। जवाब पैरोकार राज के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में हुआ है जिसके स्थाई समाधान हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थीगण कोई ऐतराज नहीं है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसका नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन होने का कोई अंदेशा नहीं है। तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी का प्रर्थाना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 110–111 एलआरएक्ट सपठित धारा 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टिब्बी को आदेश दिये जाते है कि वे तहसील टिब्बी के चक 2 आर डबल्यू बी प०न० 210/325, 210/326, 211/326, 211/325, 211/327 भूमि में अगर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर संबंधित पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर विधिवित् पत्थरगढी व पैमाईश करावें। पत्थरगढ़ी व पैमाईश की उक्त प्रक्रिया के दौरान उक्त मु0न0/किला न0 में दर्ज प्रार्थी एवं अन्य प्रभावित काश्तकार/पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी व पैमाईश किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 9/10/25 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

(नारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner